

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्रामवासीयान भावनाथ की खेडी, तहसील भदेसर जरिये प्रतिनिधि भैरूलाल पिता चेना कालबेलिया निवासी भावनाथ की खेडी, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

शंकरी पत्नि स्व. कस्तुरबा रेबारी निवासी भालुण्डी, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

कार्यवाही :- नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970

प्रकरण संख्या 20/2025 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी प्रार्थी तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	